

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:मंत्रालय:

क्रमांक सी 3-15/2014/1/3

भोपाल, दिनांक 24/7/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:- 1-सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रं0 सी 3-15/2014/1/3, दिनांक 26 फरवरी 2015.

2-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 14-7/2016/41-2, दिनांक 20-6-2019.

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।


2- उक्त निर्देश की कंडिका 3 (1) में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैद्यता अवधि दो (02) वर्ष निर्धारित की गई थी ।

3- राज्य शासन एतदद्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency certification test-CPCT) के प्रमाण पत्र (score card) की वैधता अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर चार (04) वर्ष निर्धारित की जाती है ।

4- यह व्यवस्था दिनांक 20.06.2019 के पश्चात् आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों (score card) पर लागू होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार--



(सी.बी. पडवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0कं0 सी 3-15/2014/1/3,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/7/2019

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर ।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश ।
- 4- मान0 मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म0प्र0 ।
- 5- महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
- 6- रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
- 7- महानिदेशक प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 8- अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल ।
- 9- अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 10- प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 11- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
- 12- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

- 13— सचिव, राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 - 14— सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 15— सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इन्दौर।
 - 16— सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
 - 17— सचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
 - 18— मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 - 19— महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
 - 20— आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 21— समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - 22— मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
 - 23— अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 - 24— अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.